जन प्रेरित अभियान .
सर्मथ बस्तर के लिए लोक नियोजन

1. उद्यमिता विकास

आजीविका अवसरों के निर्माण हेतु उद्यमिता विकास पारिस्थितिकी तंत्र विकास की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। यह आमतौर पर कहा जाता है कि आर्थिक रूप से अविकसित क्षेत्रों में तेजी से विकास के लिए लोगों की उद्यमशील क्षमता विकसित की जानी चाहिए। एक तरह से बस्तर जैसे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था उद्यमिता पर ही चलती है, क्योंकि विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों की सीमित उपलब्धता के कारण अधिकांश लोगों के लिए स्वरोजगार एकमात्र विकल्प है। सभी व्यक्ति और परिवार जो अपने स्वयं के भूखंड पर कृषि कार्यो में लगे हुए हैं, को एक तरीके से उद्यमी ही कहा जाता है। वे अपने दम पर अपने उद्यम का संचालन करते हैं। अपनी उपज को बाजार में बेचते हैं और जोखिम को जानते हैं। वन उपज के संग्राहक जो साप्ताहिक हाट में अपनी उपज बेचते हैं, वे भी इसी तरह के उद्यमी हैं जो अपनी संग्रहित वन उपज को बाजार में बेचते हैं और इसमें छिपे जोखिम को अच्छी तरह से समझते हैं। इसी तरह से फेरीवाले और सड़क विक्रेता आदि विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत सेवाओं के प्रदाता उद्यमशीलता की अनेक गतिविधियों को अंजाम देते हैं।

अतः यह स्थापित हो चुका है कि उद्यमिता ग्रामीण और अर्ध–शहरी समाज में मौजूद हैं। हालांकि यह उद्यमिता अपने पारंपरिक, मौलिक एवं अल्पविकसित रूप में बिना किसी महत्वपूर्ण बदलाव के ही बने हुए हैं। यह भी सच है कि वर्तमान में ग्रामीण उद्यमशीलता की भावना में कमी देखी जा रही है तथा वाणिज्य के आधुनिक तरीकों का उपयोग एवं चलन बहुत ही सीमित है। हालांकि बाजारों का सफल परिचालन ग्रामीणों के लिए नया नहीं है। इसे वनवासियों में उनकी उद्यमशील क्षमता के विकास हेतु शुरुआती पहल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

बस्तर में व्यक्तिगत उद्यमशील क्षमताओं के विकास के बाजाय स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति या उत्पादक संगठनों के माध्यम से ब्यावसायिक गतिविधियों को करने के लिए लोगों

को प्रेरित करना एवं उनकी उद्यमशील क्षमताओं का विकास करना अधिक उपुक्त एवं स्थाई होगा। इस प्रकार सामूहिक उद्यमशीलता का विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बस्तर में व्यक्तिगत उद्यमशीलता का विकास।

1.1.क्षमतायें और संभावनाएँ

प्राकृतिक संसाधनों की प्रर्याप्तता और वाणिज्य की सापेक्ष अविकसितता बस्तर में उद्यमी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान करते हैं। चाहे वह वन हो या वनोपज, कृषि हो या खनिज संसाधन इन सब का क्षमता दोहन अपेक्षकृत कम ही हुआ है। यह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाने का एक अवसर भी प्रदान करते हैं जो सभी प्रकार की पूंजी का पोषण कर सकते हैं।

यदि उद्यमशीलता को बढ़ावा देना आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के आवश्यक अवयवों में से एक है, तो कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना एक बहुत बड़ा काम होगा। इसका एक विकल्प उत्पादक समूहों के गठन को बढ़ावा देना और उन्हें ब्यावसायिक तरीके से आर्थिक गतिविधि करने के लिए प्रशिक्षित करना हो सकता है। समूहों के माध्यम से उत्पादन के संग्रहण को प्रोत्साहित करना भी आर्थिक रूप से ब्यवहार्य संचालन के पैमाने को प्राप्त करने के लिए एक उचित विकल्प होगा। उदाहरण के लिए, जैविक खेती करने वाले किसानों के समूह या स्वदेशी किस्म की उपज पैदा करने वाले किसानों को अपने उत्पादों का सामूहिक रूप से संग्रहण एवं विपणन करने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करना है। इसी तरह वन उत्पाद इकट्ठा करने वाले वनवासी अपनी उपज की बिक्री में बेहतर शर्तों को प्राप्त करने के लिए एकत्र हो सकते हैं या किसी न किसी रूप में उपज का प्रसंस्करण कर सामूहिक रूप से बेच सकते हैं।

एनएमडीसी और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के संयुक्त तत्वावधान से नगरनार में आगामी समय से इस्पात संयंत्र कृषि या वन उपज के अलावा अन्य क्षेत्रों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने की भूमिका निभाएगा। कई सहायक उद्योगों की स्थापना के अलावा 3 एमटीपीए एकीकृत स्टील प्लांट से स्थानीय अर्थव्यवस्था में भारी मांग आने की उम्मीद है जो कर्मचारी या इसके आपूर्तिकर्ता को विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के सीधे या उत्पन्न रोजगार के परिणामस्वरूप पैदा होगी। संयंत्र विभिन्न क्षेत्रों और सेवाओं में मांग उत्पन्न कर सकता है जैसे कि–

- अचल संपत्ति

- परिवहन एजेंसियां (रोजगार के अवसर सीधे संयंत्र में या अधिकारियों, आपूर्ति कर्ताओं आदि के लिए)
- सुरक्षा एजेंसियां (संख्या सहित) अर्ध–कुशल और अकुशल सुरक्षा गार्ड
- आतिथ्य – मेस और रेस्तरां, खानपान सेवाएं, लॉज और होटल आदि
- खुदरा ब्यापार और व्यक्तिगत सेवाएं – किराना दुकानें, व्यक्तिगत देखभाल, डेयरी इकाइयां, मोबाइल फोन सेवाएं, मनोरंजन आदि
- स्कूल, चिकित्सा आदि सुविधाऐं

इस प्रकार स्टील प्लांट के चालू होने पर कई छोटे और मझोले उद्यमों की भारी मांग होगी। इसके परिणामस्वरूप जिले में बड़े पैमाने पर निवासियों की आमद हो सकती है। इसके अलावा प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किए जाने के कारण भी आमद होती है। जिले के भीतर औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में उद्यमी क्षमताओं के निम्न स्तर को देखते हुए जगदलपुर शहर और अन्य स्थानों के स्थानीय युवाओं को छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.2. मौजूदा योजनाएँ और व्यवस्थाएँ

राज्य सरकार युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास के लिए शिक्षा प्रदान कर रही है। कौशल और उद्यमिता में प्रशिक्षण के लिए जिला लाइवलीहुड कॉलेज, अदावल भी स्थापित किया गया है। राज्य सरकार ने स्टार्ट–अप को प्रोत्साहित करने के लिए 36 आइएनसी नामक ऊष्मायन केंद्र (इन्क्यूबेटिंग सेंटर) भी स्थापित किये हैं। इन 36 आइएनसी ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि उद्यमशील छात्रों को समर्थन प्रणाली की सुविधा प्रदान करने के लिए पूर्व इनक्यूबेटर की भूमिका निभाकर एक ब्यापारिक व्यवसाय मॉडल चरण के साथ अपने विचारों को तकनीकी समाधानों में परिवर्तित करने के लिए संकाय और संकायों की सहायता की जा सके।

हालांकि बस्तर के लिए अनुकूल गतिविधियों को अपनाने हेतु उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए व्यक्तिगत और समूहों में अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने की आवश्यकता है।

1.3. क्षमताओं के कम उपयोग के कारण

यूरोपियन जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट (वाल्यूंम 3, न0 6, 2011) में छपा एक लेख उद्यमिता के छह विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करता है। यथा–

1. आर्थिक उद्यमिता सिद्धांत
2. मनोवैज्ञानिक उद्यमिता सिद्धांत
3. समाजशास्त्रीय उद्यमिता सिद्धांत
4. मानवशास्त्रीय उद्यमशीलता सिद्धांत
5. अवसर आधारित उद्यमशीलता सिद्धांत और
6. संसाधन आधारित उद्यमिता सिद्धांत।

संसाधन आधारित उद्यमिता सिद्धांत अंतर वित्तीय मानवीय और सामाजिक पूंजी के महत्व पर बल देता है जिसमें मानव पूंजी में शिक्षा और अनुभव जैसे कारक शामिल होते हैं, जबकि सामाजिक पूंजी सामाजिक नेटवर्क और कनेक्शन से संबंधित होती है। मनोवैज्ञानिक उद्यमिता सिद्धांत उन मनोवैज्ञानिक लक्षणों की गणना करता है जो आमतौर पर उद्यमियों में पाए जाते हैं जैसे कि जोखिम लेना, नवीनता, अस्पष्टता, सहिष्णुता और उपलब्धि के लिए प्रेरणा। मानवविज्ञान उद्यमशीलता सिद्धांत की संस्कृति के प्रभावों के महत्व पर जोर देता है, जबकि सामाजिक उद्यमिता सिद्धांत सामाजिक नेटवर्क, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि की बात करता है।

1.3.1. नियंत्रण का पैटर्न

परंपरागत रूप से उद्यमिता के अवसर समाज के कुछ ही वर्गों के लिए उपलब्ध थे। जबकि यह ऊपर उल्लेख किया गया है कि साप्ताहिक बाजारों आदि में विभिन्न उपज के कृषक और विक्रेता उद्यमी हैं । हलांकि उनके उद्यम परंपरागत क्षेत्रों में हैं जहां कीमत, वितरण की शर्त, उत्पादों की मांग और उत्पादों का प्रसंस्करण आदि के संदर्भ में उनका बाजार पर नियंत्रण नहीं है। बिचौलिये बाजार में उपज की कीमते, खरीदे जाने वाले उत्पादों की मात्रा और वितरण की शर्तों आदि को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार नवाचार की गुंजाइश उद्यमशीलता की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। जबकि इस तरह के नवाचार की गुंजाइश सैद्धांतिक रूप से किसी को अपने उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करने के लिए मौजूद हैं। ब्यवहार में इस तरह के उत्पाद विक्रेताओं के पास सामाजिक नेटवर्क, ज्ञान और अनुभव, ब्यापक बाजारों के संपर्क आदि के मामले में साधन की कमी है। अगर उद्यमशीलता संस्कृति को बड़े पैमाने पर फैलाना है तो उद्यमी कौशल विकसित करने के प्रयासों में इन कारकों को ध्यान में रखना होगा और तदनुसार प्रशिक्षण की रूपरेखा को तैयार करना होगा।

1.3.2. संस्थागत क्षमताएं

सरकार द्वारा बनाए गए प्रशिक्षण तंत्र में उद्यमिता के पोषण के बजाय कौशल निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रशिक्षुओं के विभिन्न क्षेत्रों की पृष्ठभूमि और जरूरतों के आधार पर उद्यमिता में प्रशिक्षण के अनुकूलित मॉड्यूल डिजाइन करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा उद्यमिता के विकास को शून्य में लेने का प्रयास नहीं किया जा सकता है। उद्यमिता को तभी बढ़ावा दिया जा सकता है जब पारिस्थितिकी तंत्र नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए अपेक्षित अवसर प्रदान करता हो और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था ऐसे उद्यमों को बनाए रखने के लिए गतिशीलता प्रदान करती हो। इसलिए उद्यम चलाने के लिए उद्यमी प्रशिक्षण को ब्यावहारिक प्रशिक्षण के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें जहां भी संभव हो चुने हुए क्षेत्र में प्रशिक्षु के रूप में काम करने का घटक भी शामिल होना चाहिए। उन लोगों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है जो प्रशिक्षुओं का चयन करते हैं। जिनके पास क्षेत्र में पूर्व कार्य अनुभव है।

उद्यमशीलता को विकसित करने एवं उद्यम को चलाने में लगातार सहयोग प्रदान करना काफी महत्वपूर्ण है। आदर्श रूप से सीमित अवधि के लिए सहयोग प्रदान करना प्रशिक्षण का एक अनिवार्य घटक माना जाना चाहिए। वर्तमान में उद्यमिता के विकास के लिए संस्थागत ढांचा इन पहलुओं को पर्याप्त रूप से समाहित नहीं करता है।

1.3.3. प्रस्तावित कदम

जैसा कि पहले भी बताया गया है कि बस्तर में उद्यमशीलता का विकास व्यक्तिगत उद्यमियों को तैयार करने के साथ–साथ स्वयं सहायता समूह, उत्पादक संगठन आदि जैसे समूहों के लिए भी किया जाना चाहिए। समूहों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण व्यक्तियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण से कुछ मायनों में अलग होने चाहिए।

क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर प्रशिक्षण को अनुकूलित करना होगा। बस्तर कृषि के साथ–साथ वन उपज के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन के क्षेत्र में उधमिता विकास के लिए प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करता है। यह प्रशिक्षण व्यक्तियों के साथ–साथ उत्पादक समूहों को भी दिया जा सकता है। इसके तहत समूहों के लिए मॉड्यूल में प्रसंस्करण, पैकेजिंग आदि के कुछ तकनीकी पहलुओं को शामिल करना पड़ सकता है (आदर्श रूप से तकनीकी घटक व्यक्तियों के लिए भी हो सकता है)।

आगामी स्टील प्लांट की स्थापना के कारण इस समय उद्योगों और सेवाओं के क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमशीलता के बढ़ते अवसर इन क्षेत्रों में उद्यमिता प्रशिक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। जबकि इन क्षेत्रों में अधिकांश प्रशिक्षण व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे जहां समूहों के संगठित होने की संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं का स्वयं सहयाता समूह भोजन या खानपान सेवाओं को चला सकता है जो प्रवासी कर्मचारियों और विक्रेताओं की आमद के कारण बढ़ती मांग को देखेगी। परिवहन सेवाएँ पुरुषों की सहकारी समितियों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं।

प्रशिक्षण की जरूरतों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

i. पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र
ii. पारंपरिक सेवा क्षेत्र
iii. व्यक्तिगत उद्यमी
iv. औद्योगिक/सेवा क्षेत्र एसएचजी, सहकारी समितियां ,

प्रत्येक श्रेणी की प्रशिक्षण की जरूरतें अलग–अलग होंगी और मॉड्यूल को तदनुसार अनुकूलित करना होगा। समूहों के लिए समूह की बैठकें, बैठकों के रिकॉर्ड, पदाधिकारियों का चयन, पदाधिकारियों और सदस्यों की जिम्मेदारियां, भागीदारी, चर्चा के माध्यम से निर्णय लेने आदि जैसे पहलुओं को भी शामिल किया जाना आवश्यक है।

प्रशिक्षण की व्यापक प्रकृति, प्रशिक्षण के उपरांत सहयोग एवं सलाह की आवश्यकता और तकनीकी पहलुओं को शामिल करने की आवश्यकता को देखते हुए इस तरह के प्रशिक्षण के लिए एक विशेष प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को स्थापित करने की आवश्यकता होगी। इस प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को अवसरों की पहचान करने और उत्पादकों या संग्राहकों के समूह बनाने के लिए सुझाए गए संगठनों के साथ अपेक्षित समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होगी।